



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024

भाद्रपद 26, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 358/79-वि-1-2024-2-क-15-2024

लखनऊ, 17 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2024) जिससे समाज कल्याण अनुभाग-4 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन)

अध्यादेश, 2024

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2024)

[भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 16
सन् 1995 की
धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 5 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्,—

“1—(क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य का कार्यकाल उनके पद ग्रहण किये जाने के दिनांक से एक वर्ष का होगा।

(ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य अपना पद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त धारण करेगा।

(ग) अध्यक्ष, एक सदस्य के रूप में पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा”।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 358(2)/LXXIX-V-1-2024-2-ka-15-2024

Dated Lucknow, September 17, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Anusoochit Jati Aur Anusoochit Janjaati Aayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2024 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 14 of 2024) promulgated by the Governor. The Samaaj Kalyan Anubhag-4 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR THE SCHEDULED CASTES AND
SCHEDULED TRIBES (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2024

(U.P. ORDINANCE NO. 14 OF 2024)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-fifth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Caste and Schedule Tribes Act, 1995.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and
commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Ordinance, .2024

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

.2For Sub-section (1) of section 5 of the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995 the following sub-section shall be substituted, namely:-

Amendment
of Section 5
of U.P. Act
no. 16
of 1995

“1. (a) The tenure of the Chairman, Vice-Chairman or member, shall be one year from the date of his assuming office.

(b) The Chairman, Vice-Chairman or member shall hold his office during the pleasure of the State Government.

(c) The Chairman shall not be eligible for reappointment as a member”.

ANANDIBEN PATEL,
*Governor,
Uttar Pradesh.*

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 253 राजपत्र-2024-(673)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 83 सा० विधायी-2024-(674)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।